

Site Inspection Report of the D.C.F


- (1) The Proposed Petrol Pump Site is Protected Forest .
- (2) No any rare/endangered /unique Species of flora and fauna are found in that area on detailed below:-

Common Name	Botanical name	No. of Trees/Plant	Girth	Note
Kadam	Neolamarckia cadamba	3 No.	(i)60cm & 75cm (ii)40 cm (iii)30 cm	छटवन का एक पौधा (i) 10 cm, महोगनी का एक पौधा (iii) 25 cm एवं सेमल का एक पौधा (i) 25cm कुल तीन पौधों का प्रतिस्थापन किया जाएगा।
Chhatwan	Alstonia Scholris	2 No.	(i) 10 cm (ii) 60cm	
Mahogoni	Swetenic mahogoni	3 No.	(i) 50cm (ii)40 cm (iii)25 cm	
Karanj	Pongamia Pinnata	1 No.	(i) 90 cm	
Jarhul	Lagerstroemia indica	2 No.	(i) 50cm (ii)70cm	
Chilbil	Holoptelea integrifolia	1 No	(i) 25cm	
Semal	Bombax ceiba	1 No.	(i) 30cm	
Total		13 no		

- (3) Actual requirement of Forest Land should be 0.0285 Ha.
- (4) No any work in violation of the FC Act has been carried out.
- (5) Next Petrol Pump from the Proposed Petrol Pump Site is 15 km (Approx) in East and 5km (Approx) in west direction.
- (6) GPS Reading is as follows :-

प्रवेश	गिरास
(1) N26°05.816' ,E086°34.763'	(1) N26°05.810' ,E086°34.762'
(2) N26°05.800' ,E086°34.749'	(2) N26°05.802' ,E086°34.753'
(3) N26°05.815' ,E086°34.762'	(3) N26°05.810' ,E086°34.758'
(4) N26°05.801' ,E086°34.747'	(4) N26°05.805' ,E086°34.752'

- (7) This Petrol Pump will help the people of surroundings and passing through NH-327(E)(Road).
- (8) Recommended.


 08.09.2021
 Divisional Forest Officer,

Supaul Forest Division, Supaul

सुपौल जिलान्तर्गत के खरैल मौजा के खाता संख्या-641 खेसरा संख्या-2401, अंचल-सुपौल में

सुपौल सहरसा NH-327(E) पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट खोलने हेतु वन (संरक्षण)

अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

आवेदक का नाम-श्रीमति प्राची सिंह

0.018 वर्गमी० पेट्रोल पंप हेतु स्थापित करने हेतु प्रस्तावित भूमि		
प्रवेश	12.00 मी०	निकास
7.5 मी०	12.00 मी०	7.5 मी०

(A)

(B)

सुपौल सहरसा NH-327(E) पथ

(A) प्रवेश में :- चौड़ाई -7.5 मीटर चौड़ाई + दोनों साईड में 1 मीटर का फलैंक
=(5.50 मी० + 2 मी०) = 7.50 मीटर

लम्बाई = 12.00 मीटर

क्षेत्रफल = (7.50 मी० X 12.00 मीटर) = 90.00 वर्ग मीटर

(B) निकास में :- चौड़ाई -7.5 मीटर चौड़ाई + दोनों साईड में 1 मीटर का फलैंक
=(5.50 मी० + 2 मी०) = 7.50 मीटर

लम्बाई = 12.00 मीटर

क्षेत्रफल = (7.50 मी० X 12.00 मीटर) = 90.00 वर्ग मीटर

कुल क्षेत्रफल = A+B =(90.00 +90.00) वर्ग मीटर = 180 वर्ग मीटर =

0.018 हेक्टेयर

GPS Reading :-

प्रवेश	निकास
(1) N26°05.816' E086°34.763'	(1) N26°05.810' E086°34.762'
(2) N26°05.800' E086°34.749'	(2) N26°05.802' E086°34.753'
(3) N26°05.815' E086°34.762'	(3) N26°05.810' E086°34.758'
(4) N26°05.801' E086°34.747'	(4) N26°05.805' E086°34.752'

Praachi Singh

23.03.2021.
वन प्रमंडल पदाधिकारी
सुपौल वन प्रमंडल; सुपौल

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल।

पुराना कृषि कार्यालय(ऊपरी तल्ला), जवाहर नवोदय विद्यालय के समीप

ई-मेल supauldfo@gmail.com/divfosupaul-bih@gov.in Mob:-8986153160

पत्रांक- 1839



प्रेषक

सुनील कुमार शरण, बि0व0रो0,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सुपौल,दिनांक- 18/11/2021

विषय:

श्रीमती प्राची सिंह द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत खरैल मौजा के खाता संख्या-641, खेसरा संख्या-2401, अंचल सुपौल में सुपौल-सहरसा NH-327(E) पथ के किनार BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु 13 (तेरह) वृक्ष में से प्रतिस्थापन एवं पातन होने वाले वृक्षों का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंग

भवदीय पत्रांक-897 दिनांक-27.09.2021 के क्रम में गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति की दिनांक-18.11.2021 को भागलपुर में अध्यक्ष-सह-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही (सिलमन)।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि श्रीमती प्राची सिंह द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत खरैल मौजा के खाता संख्या 641, खेसरा संख्या-2401, अंचल सुपौल में सुपौल-सहरसा NH-327(E) पथ के किनार टक्कर का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु 13 वृक्ष हैं जो हरा एवं जिवीत हैं। जिसमें से 10 वृक्ष के प्रतिस्थापन के पश्चात् उत्तरजीविता सिद्धि है। इन्हें पातन करने हेतु तथा 3 वृक्षों का प्रतिस्थापन किया जाना प्रस्तावित है, पर पर क्षेत्रीय सक्षम समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सहमति प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि अतः अनुरोध है कि समर्पित प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी
सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल।

आज दिनांक 16.11.2021 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-03 दिनांक-01.10.2019 के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश संख्या-39 सह पठित ज्ञापक-974(ई0) दिनांक-26.07.2019 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन पेड़ों के पुर्नस्थापन/पातन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वृक्ष सुरक्षा योजना पर विचारोपरान्त निर्णय लेने हेतु गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति की भागलपुर में अध्यक्ष-सह-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर
2. वन संरक्षक, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल

सर्वप्रथम क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर-सह-अध्यक्ष द्वारा गठित समिति को समक्ष इस संबंध में प्राप्त निर्देशों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया।

1. प्रस्ताव सं० -01 वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल-सह-सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय सक्षम समिति के समक्ष बताया गया कि आवेदक श्री गणेश कुमार साह द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत परसागढ़ी मौजा में NH-327 (E) जदिया-शनीगज पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट खोलने हेतु आवंटित है। प्रस्तावित भूमि का खाता सं०-249 प्लॉट संख्या- 798, थाना संख्या-310, थाना-जदिया रकवा 0.01725 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव है। जिसके आगे सड़क के किनारे चकुंती के 6 एवं बकेन के 1 के वृक्ष लगे हुए हैं। इसकी मोटाई 55 से०मी० से 90 से०मी० के बीच है। उक्त स्थल के आगे पेड़ रहने के कारण निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। उक्त 7 वृक्षों का पातन करने हेतु अनुरोध किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल द्वारा उनके पत्रांक- 1626 दिनांक- 30.09.2021 से वृक्ष सुरक्षा योजना समर्पित किया है, जिसे समिति को समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

क्षेत्रीय सक्षम समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत समर्पित प्रस्ताव के साथ संलग्न वृक्ष सुरक्षा योजना, जिसमें कुल 7 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है, पर सहमति दी जाती है।

2. प्रस्ताव सं० -02 वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल-सह-सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय सक्षम समिति के समक्ष बताया गया कि आवेदक श्रीमति प्राची सिंह द्वारा सुपौल अंचल अंतर्गत मौजा-खरैल, सुपौल-सहरसा NH-327 (E) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु आवंटित है। प्रस्तावित भूमि का खाता सं०-641 खेसरा सं०-2401 रकवा 0.018 हे० वन भूमि अपयोजन का

प्रस्ताव है। जिसके आगे सड़क के किनारे कुल 13 वृक्ष लगे हुए हैं। इसकी मोटाई 10 से०मी० से 75 से०मी० हैं। उक्त स्थल के आगे पेड़ रहने के कारण निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। जिसमें 10 वृक्षों का पुनर्स्थापन के पश्चात् उत्तरजीविता सदिग्ध है। इसे पातन करने हेतु तथा 3 वृक्षों का प्रतिस्थापन करने का अनुरोध किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल द्वारा उनके पत्रांक- 1627 दिनांक- 30.09.2021 से वृक्ष सुरक्षा योजना समर्पित किया है, जिसे समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।


क्षेत्रीय सक्षम समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत समर्पित प्रस्ताव के साथ संलग्न वृक्ष सुरक्षा योजना, जिसमें कुल 10 वृक्षों का पातन एवं 3 वृक्षों का प्रतिस्थापन किया जाना प्रस्तावित है, पर सहमति दी जाती है।


3. प्रस्ताव सं० -03 वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल-सह-सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय सक्षम समिति के समक्ष बताया गया कि आवेदक श्री जयप्रकाश कुमार द्वारा सुपौल जिला अंतर्गत मौजा-मलाठ, सुपौल-मपटियाही NH-327 (A) पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु आवेदित है। प्रस्तावित भूमि का खाता संख्या-1268 (पु०), खेसरा संख्या-4223(पु०), धाना सं०-84, धाना किरानपुर रकबा 0.0285 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव है। जिसके आगे सड़क के किनारे कुल 45 वृक्ष लगे हुए हैं। इसकी मोटाई 35 से०मी० से 80 से०मी० है। उक्त स्थल के आगे पेड़ रहने के कारण निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। जिसमें 42 वृक्षों का पुनर्स्थापन के पश्चात् उत्तरजीविता सदिग्ध है। इसे पातन करने हेतु तथा 3 वृक्षों का प्रतिस्थापन करने का अनुरोध किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल द्वारा उनके पत्रांक- 1628 दिनांक- 30.09.2021 से वृक्ष सुरक्षा योजना समर्पित किया है, जिसे समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।


क्षेत्रीय सक्षम समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत समर्पित प्रस्ताव के साथ संलग्न वृक्ष सुरक्षा योजना, जिसमें कुल 42 वृक्षों का पातन जिनमें 35 बौंस हैं, एवं 3 वृक्षों का प्रतिस्थापन किया जाना प्रस्तावित है, पर सहमति दी जाती है।

समिति की बैठक की कार्यवाही से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को अवगत कराने हेतु सदस्य सचिव-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल को अधिकृत किया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


17/11/2021
सदस्य सचिव -सह-
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल।


17/11/2021
सदस्य-सह-
वन संरक्षक,
पूर्णिमा अंचल, पूर्णिया।


17/11/21
अध्यक्ष-सह-
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
भागलपुर।